न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 30/2025

स्टेट जरिये श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनामः—

अप्रार्थी—1
राकेश कुमार पुत्र हरबंश लाल अरोड़ा (विक्रेता)
मैसर्सः—गिल्होत्रा वैरायटी स्टोर, 36 एमओडी, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 26, सेतिया फार्म के पास, जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी—2
विरेन्द्र कुमार बजाज
मैसर्सः—बजाज डिस्टीब्यूटर्स, शॉप नं. 09, आदर्श कटला, पावर हाउस रोड़, जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी—3
प्रियंका गुप्ता पत्नि अशोक कुमार गुप्ता
मैसर्सः—नीरज मार्केटिंग, 5—जैन गार्ड, बादनपुरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थी—4
मैसर्सः—एसडीपी इण्डस्ट्रीज, प्रा0लि0, प्रथम स्टेशन के पीछे, रिंगवाड़ा, गांव दाभेल, जिला दमन।

—अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51 एवं 52

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी 02 ता 04।
3. श्री रजनीश पारिक, अभिभाषक अप्रार्थी—1।

—:निर्णयः—

दिनांक :—31.07.2025

प्रार्थी श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रफीक मोहम्मद दिनांक 16.02.2023 को समय सायं 04.30 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—गिल्होत्रा वैरायटी स्टोर, 36 एमओडी, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर राकेश कुमार पुत्र हरबंश लाल अरोड़ा (विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 26, सेतिया फार्म के पास, जिला श्रीगंगानगर मौके पर मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते एक कार्टून के अंदर 12 X 500 ग्राम Cow Ghee (Gokul Brand) रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 X 500 ग्राम Cow Ghee (Gokul Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Cow Ghee (Gokul Brand) के खरीद मूल का 1000/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Cow Ghee (Gokul Brand) 04 X 500 ग्राम वजनी पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके—2417 मिन पर दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2417 मिन पर दर्ज कर चारों पैकेट पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं

30/7
न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 175 दिनांक 02.03.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard & Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/5582–83 दिनांक 21.03.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Substandard & Misbranded Food खाद्य पदार्थ Cow Ghee (Gokul Brand) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 एवं धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Cow Ghee (Gokul Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थीयान–01 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने गोकुल ब्राण्ड घी की पैंकिग खरीद की थी तथा पैंकिग में बिना किसी छेड़छाड़ के बाद ही बेची थी। उक्त देशी घी खरीदते समय अप्रार्थी ने उक्त ब्राण्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी तो अप्रार्थी को पता चला कि इसकी निर्माता कंपनी एस0डी0पी0 इण्डस्ट्री प्रा0लि0 गांव दाभेल जिला दमन है तथा निर्माता कंपनी ने बंद पैंकिग नीरज मार्केटिंग जयपुर सुपर स्टोकिस्ट को बेचा, जिसने बंद पैंकिग माल ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर मैसर्स बजाज डिस्ट्रीब्यूटर श्रीगंगानगर को विक्रय किया तथा अप्रार्थी ने बजाज डिस्ट्रीब्यूटर से बिल संख्या जी–289 से बंद पैंकिग घी खरीद किया। अप्रार्थी ने नेक नियत से बंद पैंकिंग घी ही बेचा था। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री बीकानेर की रिपोर्ट में नमूने को सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड फूड घोषित किया था। प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा नमूना सही तरीके से नहीं लिया गया है। अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी निर्माता कंपनी नहीं है बल्कि केवल विक्रेता है जो निर्माता कंपनी द्वारा निर्मित प्रोडेक्ट को मैसर्स बजाज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद कर विक्रय करता है। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 58 का उल्लंघन नहीं किया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 (2) में सुधारात्मक कार्यवाही कर छोड़ने का प्रावधान है। जिसका अप्रार्थी को लाभ प्रदान किया जावे। अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे। अभिभाषक अप्रार्थीयान 2 ता 4 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी नं. 01 लगायात 03 को खाद्य पदार्थ गाय का घी गोकूल ब्राण्ड 500 एमएल का पैकेट सील्ड हालत में प्राप्त हुआ था जिस कारण से विपक्षी नम्बर 1 लगायत 3 को कोई इल्म व जानकारी नहीं थी ना ही उनके पास शंका करने का कोई कारण ही था कि उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी गोकुल ब्राण्ड 500 एम.एल. के पैकेट में कोई कमी है। नमूने में लिये ये खाद्य पदार्थ गाय का घी गोकुल ब्राण्ड 500 एम.एल. के पैकेट विपक्षी नं. 1 व 2 ने विपक्षी नं. 3 से तथा विपक्षी नं. 3 ने विपक्षी नं. 4 निर्माता फर्म से उसी सील बंद हालात में पैकेट खरीद किया गया था और विपक्षी नंबर 1 लगायत 3 ने धारा 26 (4) एफएसएस एक्ट, 2006 के तहत जो बिल उक्त खाद्य पदार्थ उक्त खाद्य पदार्थ खरीदने का प्राप्त किया था वह गारण्टी की तारीफ में आता है और धारा 80 (बी)(2)(डी)(1) एफएसएस एक्ट 2006 के तहत विपक्षी नं. 1 लगायत 3 गारण्टी का बचाव पाने के अधिकारी है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी फर्म विपक्षी नं. 4 मैसर्स एसडीपी इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम स्टेशन के पीछे, रिंगवाड़ा, गांव दाभेल, जिला दमन, गुजरात के विरूद्ध यह मामला लेकर आया है कि उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी के पैकेट का निर्माता है तथा उक्त मैसर्स ने ही उक्त घी के पैकेट का निर्माण कर बेचान किया है। उस कारण से उक्त खाद्य पदार्थ के पैकेट में कोई कमी किसी भी रूप में पाई जाती है तो उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता विपक्षी नंबर 1 उसके लिये उतरदायी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेते समय विक्रेता फर्म को फार्म संख्या 5 ए का नोटिस दिया गया था जिसमें लेबल संबंधित पूर्ण जानकारी का विवरण दिया गया था जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

लेबल संबंधित कोई कमी नहीं बताई है तथा निर्माता फर्म ने लेबल पर बेस्ट बिफोर डेट डाल रखी थी जिसका अभिप्राय भी उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ उपयोग में लेने का होता है तथा उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ काम में लेने तक की समय सीमा का ज्ञान तक होता है तथा बाद अधिनियम संशोधन होने के कारण मुद्रित लेबल पहले से बने होने के कारण अत्यधिक आर्थिक नुकसान के भार के कारण निर्माता द्वारा माल विक्रय किया गया था जिसका कानूनन उसकी जानकारी में नहीं था जिसके कारण निर्माता फर्म को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। खाद्य प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक द्वारा उक्त नमूना जांच में Saponification Value तथा Lodine Value में किसी भी प्रकार से मानकों में भारी अंतर नहीं आया है तथा कम स्तर में अंतर होने से रिपोर्ट में अन्य कारण होने की संभावना हो सकती है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच के दौरान काम में लेने वाले कैमिकल के कम से अधिक मात्रा में हो जाने के कारण भी उक्त जांच रिपोर्ट में मानक स्तर ऊपर नीचे आ सकते है जिसका खाद्य पदार्थ की गुणवता पर अधिक असर नहीं होता हे। उक्त खाद्य पूर्ण रूप से शुद्ध स्तर व मानकों के आधार पर ही पाया गया है इस कारण अप्रार्थीगण व निर्माता फर्म को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। निर्माता फर्म अधिनियम के नियमानुसार ही पूर्ण रूप से घी में मौजूद सभी मानकों के अनुरूप व पैरामीटर के आधार पर ही माल पैक करती है तथा निर्माता फर्म के द्वारा खाद्य पदार्थ घी विक्रय किये जाने के पश्चात खाद्य पदार्थ घी में प्राकृतिक वातावरण, मौसम, रख रखाव, तापमान के प्रभाव के कारण भी मानक कुछ स्तर पर ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है जो मानव नियंत्रण से बाहर है। इसलिये निर्माता फर्म व प्रार्थीगण को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः जबाव मय उज्रात पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त उज्रात पर गौर फरमाते हुये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ आवेदन पत्र निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Cow Ghee (Gokul Brand) की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Substandard & Misbranded Cow Ghee (Gokul Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Substandard & Misbranded कृत्य के लिए धारा 51 एवं 52 के तहत अप्रार्थीयान–01, 02, 03 एवं 04 पर संयुक्त रूप से 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़